राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, Website: www.rlsa.gov.in)

कमांक:F-4(74)/रालसा/डीएसएडीआर/विविध/2017/5221-5255 दिनांक: 16.05.2017

प्रेषिति:—

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः— 40 घन्टे का प्रशिक्षण प्राप्त सभी मध्यस्थों को प्रकरण रैफर करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यस्थता कार्यवाहियों की गतिविधियों को संचालित करने बाबत् एम.सी.पी.सी के द्वारा 40 घंटे का प्रशिक्षण देकर मध्यस्थों की सूची तैयार की गई है। इस संबंध में आप द्वारा प्रेषित सूचनाओं को देखने पर यह ज्ञात हुआ है कि आपके न्यायक्षेत्र में पदस्थापित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारियों की सूची अपडेट नहीं है तथा साथ ही कई प्रशिक्षित मध्यस्थ (अधिवक्ता मध्यस्थ एवं न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ) ऐसे हैं, जिन्हें आज दिनांक तक एक भी प्रकरण रैफर नहीं किया गया है। इस तथ्य को माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने काफी गंभीरता से लिया है और आदेश प्रदान किए हैं कि—

1. सर्वप्रथम आप अपने न्यायक्षेत्र में पदस्थापित सभी न्यायिक अधिकारियों से पत्र व्यवहार कर सूचना प्राप्त करें कि कौन—कौन से न्यायिक अधिकारी एम.सी.पी.सी से 40 घंटे का मध्यस्थता कार्यवाही हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं और उनकी अपडेटेड सूची तैयार रखे तथा साथ ही यह सूची इस कार्यालय को प्रेषित करने के साथ—साथ आपकी विभागीय वेबसाईट पर भी अपलोड करवाएं तथा यह निरन्तरता पदस्थापित न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण/नवीन अधिकारी के द्वारा पदभार ग्रहण करने की स्थिति में भी स्थिर रखी जावें।
2. जिले में उपलब्ध सभी प्रशिक्षित मध्यस्थों (अधिवक्ता मध्यस्थ एवं न्यायिक अधिकारी मध्यस्थ) को आनुपातिक रूप से प्रकरण रैफर करवाना सुनिश्चित करावें।
3. जिले के मध्यस्थ जज इन्चार्ज को विशेष रूप से निर्देश देवें कि वह मध्यस्थता हेतु प्रकरण रैफर करते समय ध्यान रखें कि कार्यरत/सेवारत न्यायिक अधिकारियों को भी इसी अनुपात में प्रकरण रैफर करें।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

4. जिले में उपभोक्ता मंचों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों एवं विशिष्ट न्यायालयों में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी, जिन्होंने मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, उन्हें भी मध्यस्थता कार्यवाही हेतु प्रकरण आवश्यक रूप से रैफर किए जावें।

आपके न्यायक्षेत्र में पदस्थापित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारियों की अपडेटेड सूचना **PDF and Word file** दोनों में इस कार्यालय को दिनांक 19.05.2017 तक प्रेषित करवाना सुनिश्चित करावें।

सादर,

भवदीय

(एस.के. जैन)
सदस्य सचिव

कमांकःF-4(74)/रालसा/डीएसएडीआर/विविध/2017/ 5256-5258 दिनांकः 16.05.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है–

1. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
2. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।

16/5/17

अनुतोष गुप्ता
उप सचिव
(एक्शन प्लान एवं एडीआर)

Email/FAX

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः राराविसेप्रा/मध्यस्थता/3027 to 3061 दिनांकः– 28 मई, 2014

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषयः ए.डी.आर. एवं मध्यस्थता कार्यवाहियों के प्रभावी कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, ए.डी.आर. एवं मीडियेशन एक्टीविटिज के प्रभावी कियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

मध्यस्थता का प्रचार प्रसार एवं जागरूकता

1. मध्यस्थता के अधिकाधिक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। इस हेतु उचित संख्या में बोर्ड, हॉर्डिगस् व फ्लैक्स न्यायालय परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जावें तथा प्रिन्ट व इलैक्ट्रिोनिक मीडिया का इस हेतु उपयोग किया जावे। समय–समय पर नियमित जागरूकता शिविर (Awareness Camps) एवं सेमीनार का आयोजन किया जावे। सप्ताह में एक दिवस, न्यायालय परिसर में, उचित मात्रा में पेम्फलेटस् का वितरण किया जावे।

2. प्रत्येक न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय से जारी होने वाले प्रत्येक सम्मन, वारन्ट अथवा नोटिस के साथ ए.डी.आर. मध्यस्थता से संबंधित जानकारी का पेम्फलेट जो कि अलग से पीले अथवा लाल रंग में हो सकता है, को साथ चस्पा कर भिजवायें। यहां यह भी उचित होगा कि प्रत्येक वादी/प्रार्थी अथवा आवेदक को भी उसके द्वारा वाद या आवेदन न्यायालय मे प्रस्तुत करते समय ए.डी.आर मध्यस्थता से संबंधित पीले या लाल रंग के पेम्फलेट की प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

3. न्यायालय द्वारा प्रकरण को मध्यस्थता को रेफर करते समय सम्बन्धित पक्षकारान को मीडियेशन के प्रावधान, प्रकिया एवं इसके लाभों से अवगत करवाते हुए जज–इन्चार्ज, मीडियेशन को भेजा जावे तथा पक्षकारान की उपस्थिति भी जज–इन्चार्ज के समक्ष सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जावे।

रेफरल जज हेतु दिशा निर्देश

1. धारा 89 सी.पी.सी. एवं आदेश 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना आदेशात्मक रूप से की जावे। इसके लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थायी परिपत्र क्रमांक 11/पी.आई./2013 दिनांक 8–7–2013 की पालना सुनिश्चित की जावे। उपयुक्त प्रकरणों का चयन कर ऐसे प्रकरणों की आरम्भिक स्टेज पर ही न्यायिक अधिकारी सम्बन्धित पक्षकारान को मीडियेशन के प्रावधान, प्रकिया एवं इसके लाभों से अवगत करवाते हुए जज–इन्चार्ज, मीडियेशन को भेजा जावे तथा पक्षकारान की उपस्थिति भी जज–इन्चार्ज के समक्ष सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जावे।

2. अधिवक्तागण को मध्यस्थता प्रक्रिया से जोड़ने हेतु उन्हे भी विश्वास में लिया जावे। यहां यह तथ्य भी ध्यान में रखा जावे कि यह आवश्यक नहीं कि प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही हेतु यदि प्रथम बार में सफलता नहीं मिली है तो इसके उपरान्त सफलता की सम्भावना

—PTO

छोड़ दी जावे। यदि पीठासीन अधिकारी को किसी भी स्टेज पर ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य लम्बित विवाद मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त होना सम्भव है तो इसे दूसरी अथवा तीसरी बार अथवा चौथी बार भी मध्यस्थता को भेजे जाने मे कोई अवरोध नहीं है किन्तु इसके लिए पीठासीन अधिकारी का दायित्व अवश्य रहता है कि कहीं प्रकरण को विलम्बित करने के उददेश्य मात्र से पक्षकार विवाद को मीडियेशन में नहीं भिजवा रहा हो।

3. पारिवारिक मामलों में प्रकरण को विपक्षी पक्षकार की न्यायालय मे प्रथम उपस्थिति पर जवाब दावे के पूर्व मध्यस्थता कार्यवाही हेतु रेफर किया जाता है तो इसका अधिक लाभ मिलने की सम्भावना रहती है। हॉलाकि मध्यस्थता हेतु प्रकरण को किसी भी स्टेज पर रेफर किया जा सकता है किन्तु रेफरल जज का यह प्रयास रहना चाहिए कि प्रकरण को प्रारम्भिक स्टेज पर ही मध्यस्थता के लिये रेफर किया जावे।

4. प्रत्येक आवेदन/वाद/परिवाद आदि पर संबंधित पक्षकार का पूरा पता, सम्पर्क नम्बर लिया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा उसे यह भी अवगत कराया जावे कि यदि न्यायालय कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा स्वयं का रिहायशी पता बदला जाता है तो उसकी अविलम्ब सूचना न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार न्यायालय मे पेश होने वाले प्रत्येक जवाब दावे अथवा जवाब आवेदन पर भी संबंधित पक्षकार का पता, सम्पर्क नम्बर आवश्यक रूप से लिया जावे।

5. रेफरल आदेश में भी संबंधित दोनों पक्षकारान का पूर्ण पता व सम्पर्क नम्बर रेफरल जज द्वारा आवश्यक रूप से लिखा जावे। रेफरल आदेश में विवाद का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जावे।

6. रेफरल जज द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जावे। यदि दोनों पक्षकार किसी एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत हों तो वे इस बावत् जज इन्चार्ज से अनुरोध कर सकते हैं परन्तु न्यायालय द्वारा स्वयं ऐसे अनुरोध पर मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जावे।

7. रेफरल जज द्वारा मध्यस्थता हेतु रेफर किये जाने योग्य प्रकरणों की पहचान कर प्रकरण को रेफर किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक गाईड लाईनस राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पुस्तक "वैकल्पिक विवाद निस्तारण में रेफरल जज की भूमिका" का भी अवलोकन करने का श्रम करें।

8. विपक्षी पक्षकार की न्यायालय में प्रथम उपस्थिति पर उससे पूछा जाकर यह तथ्य आदेशिका में अंकित किया जावे कि उसे मध्यस्थता की जानकारी संबंधित पेम्फलेट मिला अथवा नहीं।

9. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रेफरल जज द्वारा जज–इन्चार्ज मीडियेशन के पास केवल रेफरल आदेश ही भेजा जावेगा न कि प्रकरण की पत्रावली किन्तु रेफरल आदेश में प्रकरण की प्रकृति का संक्षिप्त उल्लेख अवश्य किया जावेगा।

10. यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया है कि कुछ पक्षकार/अधिवक्ता न्यायालय में तो मध्यस्थता हेतु प्रकरण को रेफर किये जाने की सहमति दे देते हैं किन्तु बाद में प्रकरण को विलम्बित करने के आशय से मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। अतः इसके संबंध में प्रत्येक रेफरल जज के लिये यह उचित होगा कि वह उपस्थित न्यायालय पक्षकार/अधिवक्ता के प्रकरण की आदेशिका एवं रेफरल आदेश पर उनके हस्ताक्षर करावें।

11. चूंकि मध्यस्थता की कार्यवाही निशुल्क है, रेफरल जज द्वारा मध्यस्थ की फीस निर्धारित नहीं की जावे।

जज इन्चार्ज हेतु दिशा निर्देश

1. प्रत्येक कोर्ट स्टेशन पर नियमित रूप से मध्यस्थता के लिए नियत प्रकरणों की कॉजलिस्ट तैयार कर मध्यस्थता केन्द्र के बाहर लगाई जावे तथा इसकी एक प्रति बार एसोशिएशन को

भी प्रेषित की जावे। यह कॉजलिस्ट नियत पेशी से 3 से 5 दिन पूर्व जारी कर दी जावे तथा इसकी सूचना संबंधित मध्यस्थ को भी दी जावे ताकि वह इसी अनुरूप अपने कार्य व समय का प्रबन्धन कर लें।

2. यह तथ्य भी राज्य प्राधिकरण के ध्यान में आया है कि कुछ प्रशिक्षित मध्यस्थतों को जज–इन्चार्ज द्वारा मध्यस्थता हेतु प्रकरण ही आवंटित नहीं किये जाते हैं अथवा काफी कम संख्या में आवंटित किये जाते हैं, फलस्वरूप उन्हें समुचित कार्य करने का अवसर नहीं मिलता। अतः इसके लिए जज–इन्चार्ज मीडियेशन पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी प्रशिक्षित मध्यस्थतों को समुचित कार्य करने का अवसर मिले।

3. यहां जज–इन्चार्ज के लिए यह उचित होगा कि मध्यस्थता कार्यवाही में उपस्थिति के लिए छपवाये गये नोटिस के जरिऐ संबंधित पक्षकार की उपस्थिति मध्यस्थता हेतु सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

4. एक सुझाव अनुसार कि किसी एक स्थान पर स्थित न्यायालय में यदि न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तथा दोनों में से एक पक्षकार मध्यस्थता हेतु स्वंय के निवास स्थान अथवा नजदीकी स्थान के अन्य कोर्ट स्टेशन पर अपनी उपस्थिति देने हेतु सहमत हैं तो यह भी उचित होगा कि जज–इन्चार्ज मीडियेशन पक्षकारान की सुविधा को ध्यान में रखते हुये संबंधित अन्य कोर्ट स्टेशन के मीडियेशन सेन्टर के लिए रेफरल आदेश जारी कर इस कार्यक्रम की सफलता के प्रति पक्षकार एवं अधिवक्तागण के सुविधात्मक पहलू को भी ध्यान में रख सकता है।

5. पक्षकारान के मध्य मध्यस्थता का कार्य मध्यस्थता केन्द्र में ही किया जावे, अन्य किसी स्थान अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय में नहीं किया जावे।

6. यहां यह तथ्य भी स्पष्ट किया जाता है कि मध्यस्थता हेतु रेफर किये गये प्रकरण में यदि पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे प्रकरण को मध्यस्थता असफल की संख्या में शामिल नहीं किया जावे। ऐसे प्रकरण को पक्षकार उपस्थित नहीं दर्शाते हुए अलग से दर्शित किया जावे।

7. जज–इन्चार्ज किसी प्रकरण में मध्यस्थ नियुक्त करने के पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखें कि प्रकरण/विवाद किस प्रकृति का है, पक्षकारान की आयु, उनकी आम बोल–चाल की भाषा क्या है, पक्षकारान महिला है अथवा पुरूष, आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुये प्रकरण विशेष के लिये उपयुक्त प्रतीत होने वाले मध्यस्थ को ही नियुक्त किया जावे।

8. जज–इन्चार्ज यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित कोर्ट स्टेशन के प्रत्येक न्यायालय में रेफरल आदेश के खाली प्रपत्र पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें।

9. मध्यस्थता कार्यवाही में बावजूद सूचना किसी पक्षकार के उपस्थित न होने पर उसके विरूद्ध किसी शास्ती या पैनेल्टी आरोपित करने का प्रावधान नहीं है।

10. तालुका स्तर पर जहां कि यदि प्रशिक्षित मध्यस्थ नहीं है किन्तु दो या अधिक न्यायिक अधिकारी बतौर मध्यस्थ प्रशिक्षित हैं तो ऐसे प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी अपने न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के प्रकरणों में मध्यस्थता कार्यवाही सम्पादित कर सकते हैं।

11. तालुका स्तर पर जहां कोई प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध ही नहीं है तो संबंधित कोर्ट स्टेशन से संबंधित जज–इन्चार्ज, संबंधित जिला मुख्यालय के जज–इन्चार्ज को, दिन विशेष के लिये प्रकरणों को सूचिबद्ध कर अवगत करायेंगे तथा जज–इन्चार्ज, जिला मुख्यालय, किसी प्रशिक्षित मध्यस्थ को ऐसे तालुका स्तर पर, उनकी सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, नियत दिवस को वांछित कोर्ट स्टेशन पर भेज कर मध्यस्थता की कार्यवाही सम्पादित करवा सकते हैं।

12. तालुका स्तर पर जहां मध्यस्थता केन्द्र का भवन या इसके लिए न्यायालय परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं है, पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, नगर पालिका भवन आदि में उपयुक्त स्थान तलाश कर मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।

13. सेवारत न्यायिक अधिकारी, मध्यस्थता के लिऐ देय मानदेय के हकदार नहीं हैं।

14. पक्षकारान व अधिवक्तागण के उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के जरिये सूचना प्रेषित की जा सकती है। इसके लिए एन.आई.सी. द्वारा न्यायालय तथा न्याकिय अधिकारीगण को उपलब्ध कराये गये ई–मेल एड्रेस की निशुल्क एस.एम.एस. सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।

15. राजस्व मामलों में भी मध्यस्थता हेतु जज इन्चार्ज संबंधित राजस्व न्यायालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें भी प्रकरण रेफर करने हेतु प्रेरित करें तथा मध्यस्थता के माध्यम से राजस्व प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया जावे। राजस्व मामलों में मध्यस्थता हेतु सभी संबंधित के मध्य पर्याप्त प्रचार–प्रसार भी किया जावे।

मध्यस्थ हेतु दिशा निर्देश

1. प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह मध्यस्थता कार्य हेतु अपनी सेवाऐं आवश्यकतानुसार कम से कम सांय 4.30 से 6 बजे के दौरान तथा प्रातः कालीन न्यायालय समय में दोपाहर 12 से 2 बजे के दौरान अवश्य दें। यहां यह भी आवश्यक समझा गया है कि प्रत्येक जिला न्यायाधीश उनके न्यायक्षेत्र मे पदस्थापित प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी से मध्यस्थता केन्द्र पर दिये जाने वाले निश्चित दिन अथवा समय का स्वैच्छिक विवरण/सूचना लेकर अपने पास रखें जो कि जज–इन्चार्ज मीडियेशन को उपलब्ध करायें। इसकी सूचना राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण को भी भेजी जावे तथा इसके लिए न्यायिक अधिकारी स्वयं द्वारा इस हेतु नियत हुये दिवस को न्यायालय का कार्य कम रखते हुए अथवा निर्धारित समय पूर्व से पूर्ण कर नियमित रूप से अपनी सेवाऐं मध्यस्थता केन्द्र में देवें तथा जज–इन्चार्ज भी प्रशिक्षित मीडियेटर न्यायिक अधिकारी द्वारा इस हेतु दिये गये समय दिन अनुसार ही मध्यस्थता हेतु प्रकरण की कॉजलिस्ट निश्चित कर इस कार्यक्रम को गति दें। न्यायिक अधिकारीगण के लिये आवश्यक है कि वह इस कार्य को उनके अन्य दैनिक न्यायिक कार्यो के साथ अतिरिक्त भार के रूप में न लेकर नियमित कर्तव्यों के रूप में स्वीकार करें। इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाकर राज्य प्राधिकरण को सूचना प्रेषित की जावे।

2. मध्यस्थता की कार्यवाही में मध्यस्थ की निष्पक्ष भूमिका होने के कारण इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि मध्यस्थ संबंधित प्रकरण के पक्षकारान से मध्यस्थता केन्द्र के बाहर व्यक्तिगत सम्पर्क/संवाद कायम नहीं करे। आवश्यकता होने पर मध्यस्थता केन्द्र के स्टाफ के माध्यम से पक्षकार विशेष को सूचना भिजवाई जा सकती है। किसी भी स्थिति में मध्यस्थ स्वयं के स्तर पर पक्षकारान को दिनांक बावत् या अन्य किसी प्रकार की सूचना प्रेषित नहीं करे।

3. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी स्थिति में मध्यस्थता कार्यवाही अन्दर समयावधि दो माह पूर्ण कर ली जावे। यदि प्रकरण विशेष में सफलता की सम्भावना को ध्यान मे रखते हुए इससे अधिक समय की आवश्यकता महसूस की जाती है तो इसके लिऐ संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर इस हेतु अधिकतम एक माह की अवधि मध्यस्थता कार्यवाही के लिये और बढ़वाई जा सकती है। अवधि बढाते समय संबंधित न्यायालय यह ध्यान रखें कि यह अवधि प्रकरण के निस्तारण मे देरी करने के उद्देश्य से तो नहीं बढ़वाई जा रही है।

4. मध्यस्थता कार्यवाही के उपरान्त पक्षकारान के मध्य हुई वार्ता के बिन्दुओं का उल्लेख संबंधित आदेशिका में नहीं करें। यदि पक्षकारान के मध्य कुछ बिन्दुओं पर आंशिक समझौता

होता है तो उस सीमा तक आदेशिका में इसका उल्लेख किया जा सकता है किन्तु समझौता कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार का व्यवहार अथवा आचरण समझौता कार्यवाही के प्रतिकूल रहा का उल्लेख आदेशिका में बिल्कुल नहीं किया जावे।

साथ ही संबंधित कोई भी न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित प्रकरण में शामिल अधिवक्ता पर ऐसा कोई दबाव नहीं डाले कि वह पक्षकारान के मध्य कोई परस्पर वार्ता बाबत कोई जानकारी दे अथवा मध्यस्थता की विफलता के कारण न्यायालय को बतावे। आदेशिका संबधित पर मध्यस्थ के हस्ताक्षर के नीचे उसका पठनीय नाम भी अंकित किया जावें।

मध्यस्थता गतिविधियों की मोनेटरिंग एवं प्रभावी कियान्वयन

1. जज इन्चार्ज मीडियेशन, अपने न्यायक्षेत्र में मीडियेशन प्रोसेस/ मीडियेशन एक्टीविटिज की प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग करने के दायित्वाधीन होंगे। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों के मध्य परस्पर कॉरडिनेशन रखते हुये उनके द्वारा रेफर किये जाने वाले प्रकरणों, उनकी सफलता दर, न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की प्रकृति व संख्या के आधार पर प्रकरणों का रेफर किया जाना आदि पर पिरियोडिकल विचार–विमर्श करेंगे। इसके लिए न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण की संयुक्त बैठक भी आयोजित की जावे। मध्यस्थता के प्रचार प्रसार कार्य में विश्वविद्यालय एवं विधि महाविद्यालयों के छात्रों को भी सम्मिलित किया जावे।

2. संबंधित न्यायक्षेत्र में, मध्यस्थता बाबत प्रचार–प्रसार करवाने का दायित्व जज इन्चार्ज मीडियेशन का होगा।

3. संबंधित न्यायक्षेत्र में मीडियेशन गतिविधियों का ओवर आल सुपरविजन संबंधित जिले के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का होगा।

4. जिन न्यायक्षेत्रों में ए.डी.आर. भवन का निमार्ण हो चुका है उन न्यायक्षेत्रों का जिला प्राधिकरण का स्टॉफ, ए.डी.आर. भवन में बैठेगा तथा विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मीडियेशन से संबंधित समस्त कार्य ए.डी.आर. भवन में ही संचालित किये जावें। जिला प्राधिकरण एवं मीडियेशन से संबंधित सभी आंकड़ें व विवरण कम्पयूटर में फीड किया जाकर रिकार्ड संधारित किया जावे।

अन्य सामान्य दिशा निर्देश

1. जयपुर मुख्यालय पर न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर एवं जयपुर जिला तथा जोधपुर मुख्यालय पर जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला स्थित होने से दोनों न्यायक्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थतों की सूची जो अलग–अलग है, को सम्मिलित कर ली जावे। इस हेतु दोनों मध्यस्थता केन्द्रों का स्टाफ एक ही जगह बैठे व रिकार्ड इस बाबत मेन्टेन करें। यहां महानगर एवं जिला न्यायक्षेत्र की पत्रावलियों में परस्पर प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारीगण की सेवाऐं भी मध्यस्थता प्रकिया में ली जा सकती है।

2. मध्यस्थता की कार्यवाही कार्यदिवस में ही की जावे। रविवार को या अन्य अवकाश के दिन मध्यस्थता की कार्यवाही संपादित नहीं की जावे।

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निवेदन है कि इन दिशानिर्देशों की प्रतियां आपके अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी जज–इन्चार्ज मीडियेशन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(के.बी.कट्टा)

सदस्य सचिव,

Email | Fax

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227555, 2227602 FAX, 2385877 Help Line)

क्रमांकः राराविसेप्रा / मध्यस्थता / 2907-2941 दिनांकः— 28 मई, 2014

प्रेषितिः—

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान

विषयः ए.डी.आर.मेकेनिज्म एवं मध्यस्थता कार्यवाहियों के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है ए.डी.आर. मैकेनिज्म एवं मध्यस्थता के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत समय—समय पर पत्र, दिशानिर्देश आदि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित किये गये हैं। मध्यस्थता कार्यवाहियों को अधिक सक्रिय व प्रभावी बनाये जाने के क्रम में निर्देशानुसार पुनः निवेदन है कि——

1. आपके न्यायक्षेत्र में जिला एवं तालुक स्तर पर पदस्थापित प्रत्येक प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारी द्वारा मध्यस्थता कार्य हेतु प्रति सप्ताह कम से कम एक दिवस का निर्धारण किया जाकर इसकी सूचना जज इन्चार्ज मध्यस्थता मुख्यालय को देंगे तथा उसी अनुरुप अपने न्यायालय में न्यायिक कार्य के निष्पादन का समय प्रबन्धन कर नियत दिवस पर जज इन्चार्ज के निर्देशन में मध्यस्थता कार्यक्रम के लिये समय देंगे। इस आशय की सूचना बाद संकलन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस कार्यालय को अन्दर अवधि एक सप्ताह प्रेषित की जावे।

इसी क्रम में निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारीगण उपरोक्तानुसार निर्धारित किये गये दिवस पर प्रातःकालीन न्यायालय समय में दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे के दौरान तथा दिन के न्यायालय समय में सांय 4:30 से 6 बजे के दौरान मध्यस्थता कार्य हेतु आवश्यक रूप से अपनी सेवाऐं दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2. आपके न्यायक्षेत्र में जिला एवं तालुक स्तर पर प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा भी इसी प्रकार उनके द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन व समय का निर्धारण किया कर इसकी सूचना संबंधित जज इन्चार्ज मुख्यालय / जज इन्चार्ज तालुका को प्रेषित करेगें ताकि इसी अनुरूप संबंधित जज—इन्चार्ज द्वारा संबंधित प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता की सेवाऐं मध्यस्थता केन्द्र पर ली जा सकें तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा भी अपने समय का प्रबन्धन इसी अनुरूप किया जा सके। प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस आशय की सूचना बाद संकलन इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

3. प्रत्येक जज इन्चार्ज मध्यस्थता का यह विशेष दायित्व होगा कि वह मध्यस्थता हेतु रेफर प्रकरणों की दैनिक वाद सूची कार्यदिवस के दो दिवस पूर्व तैयार कर (समय की उपलब्धता अनुसार) इसे मध्यस्थता केन्द्र एवं बार एसोसियेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायेंगे ताकि प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा इस हेतु निर्देशित किये गये दिन व समय अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही हेतु सेवाऐं ले सके।

4. यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि किसी अधिवक्ता द्वारा यदि परिस्थिति विशेष के अधीन सप्ताह के विशेष दिन अपने प्रकरण मध्यस्थता के लिये रखवाये जाने का निवेदन किया जाता है तो इस परिस्थिति को जज इन्चार्ज मध्यस्थता एवं रेफरल जज ध्यान में रखेगें।

5. किसी दिन विशेष को, प्रकरण विशेष की मध्यस्थता हेतु नियुक्त किये गये मध्यस्थ के अनुपस्थित रहने तथा प्रकरण के पक्षकारों के उपस्थित होने की सूरत में जज इन्चार्ज मध्यस्थता केन्द्र, मध्यस्थता कार्यवाही किये जाने हेतु किसी अन्य प्रशिक्षित मध्यस्थ को नियुक्त कर सकेंगे।

6. यद्यपि जज इन्चार्ज मध्यस्थता द्वारा मध्यस्थता हेतु प्राप्त प्रकरणों को, मध्यस्थ विशेष को आवंटित करते समय मध्यस्थ द्वारा निर्धारित दिवस को ध्यान में रखा जावेंगा परन्तु उपरोक्त वर्णित निर्देशों का यह आशय नहीं होगा कि प्रत्येक परिस्थिति में मध्यस्थ द्वारा निर्धारित दिवस के अतिरिक्त कोई कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। जज इन्चार्ज मध्यस्थता प्रकरण विशेष की परिस्थितियों, पक्षकारों, मध्यस्थ एवं अधिवक्तागण के अनुरोध व सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मध्यस्थता कार्यवाही को किसी भी दिवस के लिए निश्चित कर सकेंगे परन्तु ऐसा करते समय कार्यवाही की आदेशिका में कारणों का उल्लेख किया जावे।

जज इन्चार्ज मध्यस्थता मुख्यालय पूर्वानुसार प्रत्येक माह की 5 तारीख तक, विगत माह में प्रत्येक मध्यस्थ न्यायिक अधिकारी/एडवोकेट द्वारा, मध्यस्थता हेतु लिये गये प्रकरण, उनके सफल/असफल होने एवं ऐसे प्रकरण जिनमें एक या दोनो पक्षकार उपस्थित नहीं होने से मध्यस्थता कार्यवाही सफल नहीं हुई, का विवरण पृथक–पृथक संकलित कर इस कार्यालय को 10 तारीख तक प्रेषित करेगें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर वांछित सूचना अन्दर अवधि एक सप्ताह इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

(के.बी.कट्टा)
O/C सदस्य सचिव,

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS,JAIPUR BENCH,JAIPUR
(Phone: 0141-2227481,2227555, FAX-2227602,e-mail rslsajp@gmail.com)

No.RSLSA/Mediation/2013/ 22612 — 22647 Date:04-12-2013

To,

The Chairman,
District Legal Services Authority,
(District & Sessions Judge)
All Rajasthan.

Sub: Compliance of the earlier directions issued by RSLSA regarding strict compliance of ADR process.

Ref: F-9()/89CPC/RSLSA/2013/5975-6009, dated 8.7.2013.

Sir,

I am under direction to intimate you that it has been observed very seriously and minutely by the Executive Chairman, RSLSA that ADR process in the sub-ordinate Courts is not been strictly followed.

Since the provisions of Section 89CPC has been held to be mandatory. Therefore, it is binding upon all the trial courts to follow the procedure laid down in Section 89 CPC.

It has been noticed that courts trying cases of civil nature are not complying with the provisions of Section 89 CPC and are not considering cases for recourse to ADR process. This is not only violation of mandatory provisions of section 89 CPC but also amounts to non-compliance of Apex Courts judgment in Afcon's case.

The information regarding noncompliance has been intimated to Hon'ble the Executive Chairman through different sources and Hon'ble the Executive Chairman , Rajasthan State Legal Services has taken this violation on the part of courts very seriously and has directed to communicate you through this letter to ensure compliance of provisions of Section 89 CPC including attachment of leaflets with summons/notices. In all cases excluding offences of criminal nature / heinous crimes a date may be fixed for hearing & consideration recourse to ADR process under section 89 CPC after completion of pleadings of parties. Where the Court is of opinion that a case in one that is capable of being referred to and settled through ADR process the court should invariably refer cases to ADR process and where the case is unsuited for reference to any of the ADR process. The Court will have to briefly record the reasons for not resorting to ADR process and to ensure the attachment of leaflets with every summons / notices.

I am directed to request you to kindly ascertain that above directions are being complied in your Judgeship and the certificate may be sent through e-mail/Fax/Post by 5th of every month

As directed, copy of this letter be circulated to all subordinate court and special courts in your judgeship for compliance.

Thanking you.

Yours sincerely,

Sd/- 4.12.13

Member Secretary

Jha/

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS , JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)

NO. F.1()/ circular/RSLSA/2013/ 10387 – 11372 Dated 26 /08/2013

CIRCULAR

To,

All the District & Session Judges.

All the Presiding Officers of the Subordinate Courts/Designated Courts.

It has been resolved by the Administrative Committee of Hon'ble Rajasthan High Court, held on 12.02.2013 that for effective administration of Justice.

"Cause list may also be generated indicating the cases which are listed before the Mediation Centre of Each Day at the level of the District Court and of the outline Courts."

The Administrative Committee has further resolved that ,

"Referral Judge apart from ensuring presence of the parties may also record full address of the parties including their mobile Numbers, E-mail address, Permanent & contact address and particulars of Aadhar Card & Mobile Number of the Lawyers appearing for the respective parties".

&

"Regarding outline courts where there is no mediation center at present , such process may be undertaken either at the place where any other court is lying vacant or at Rajeev Gandhi Center if available at nearby place for mediation obviously with the prior consent of the local authority and at the same time, we may create infrastructure and logistics be provided by creating the mediation center at each outline courts as per requirement where there are more than at least three courts."

All the concerned officers are directed to comply above instructions strictly.

By Order

26.8.13

Member secretary

Important /Urgent

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS , JAIPUR BENCH, JAIPUR
(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)

No. F-9( )/89CPC/RSLSA/2013/5975 - 6009 Dated: 08-07-2013

To,

The Chairman,
District Legal Services Authority,
(District & Sessions Judge)
All Rajasthan

Sub:- **Compliance of provisions of Section 89 CPC by the Civil Courts.**

Sir,

As we are aware that provisions of settlement of disposal outside the courts in section 89 CPC was introduced by the parliament on 01st July 2002 which runs as under :-

" Settlement of disputes outside the courts- (1) Where it appears to the court that there exist elements of a settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for-

(a.) Arbitration;
(b.) Conciliation
(c.) Judicial settlement including settlement through Lok Adalat; or
(d.) Mediation.

Hon'ble Apex Court in the case of Afcons Infrastructure Limited and ors. vs. Cherian Varkey Construction Company Private Limited and others, reported in [JT 2010 (7) SC 616 = 2010 AIR (SCW) 4983=(2010) 8 SCC 24 = (2010) 8 SCR 1053], while interpreting the provisions held that after completion of pleadings, every civil court has to consider recourse to ADR Process under Sec. 89 of the code and it is mandatory. Relevant portion is reproduced below :-

" Section 89 starts with the words – "where it appears to the court that there exist elements of a settlement" . This clearly shows that? cases which are not suited for ADR process should not be referred under section 89 of the code, the court has to form an opinion that a case is one that is capable of being referred to and settled through ADR process. Having regard to the tenor of the provisions of Rule 1-A of Order 10 of the Code, the civil court should invariably refer case to ADR process. Only in certain recognized excluded categories of cases, it may choose not to refer to an ADR process. Where the case is unsuited for reference to any of the ADR processes, the court will have to briefly record the reasons for not resorting to any of the settlement procedures prescribed under section 89 of the code. **Therefore, having a hearing after completion of pleadings, to consider recourse to ADR process under section 89 of the code, is mandatory**. But actual reference to an ADR process in all cases is not mandatory. Where the case falls under an excluded category there need not be reference to ADR process. In all other cases reference to ADR process is a must".

Contd.....2

Since the provisions of Section 89 CPC has been held to be mandatory. Therefore, it is binding upon all the trial court to follow the procedure laid down in section 89 CPC.

It has been noticed that courts trying cases of civil nature are not complying with the provisions of Section 89 CPC and are not considering cases for recourse to ADR process. This is not only violation of mandatory provisions of section 89 CPC but also amounts to non-compliance of Apex Courts judgment in Afcon's case (Supra).

Hon'ble the Administrative Judge, Rajasthan High Court & Executive Chairman, Rajasthan State Legal Services Authority has taken this violation on the part of courts very seriously and has directed to communicate you through his letter to ensure compliance of provisions of Section 89 CPC. In all cases of civil nature a date may be fixed for hearing & consideration recourse to ADR process under section 89 CPC after completion of pleadings of parties. Where the court is of opinion that a case in one that is capable of being referred to and settled through ADR process the court should invariably refer cases to ADR process and where the case is unsuited for reference to any of the ADR process. The Court will have to briefly record the reasons for not resorting to ADR process.

As directed, copy of this letter be **circulated to all subordinate court and special courts in your judgeship** for compliance.

Thanking you

Yours sincerely,

8.7.13

(Abhay Chaturvedi)

Member Secretary

अति-आवश्यक
E mail

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,(रालसा) जयपुर।

क्रमांक:रालसा/मिडि./2012/ 19565 to 19599 दिनांक: 12.03.2012

प्रेषिति: अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
.......समस्त राज०

विषयः मध्यस्थता प्रकिया के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश के कम में।

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र कमांक रालसा/मिडियेशन/2011/11070–11107 दिनांक 1.10.2011 एवं 14000–14034 दिनांक 16.12.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राल्सा एवं जज मिडियेशन इंचार्ज, राजस्थान उच्च न्यायालय मिडियेशन सेन्टर के निर्देशानुसार मध्यस्थता प्रकिया के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश संलग्न प्रेषित किये जा रहे है।

निर्देशानुसार यह भी लेख है कि संलग्न सामान्य दिशा–निर्देशों की फोटो प्रतियां तैयार करवाकर एक–एक प्रति न्यायक्षेत्र के प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को आवश्यक रूप से वितरित करवावे और इन निर्देशों के अनुसार मध्यस्थता केन्द्र की प्रभावी कियान्विति सुनिश्चित करावें।

इस संबंध में यह भी लेख है कि संलग्न सामान्य दिशा–निर्देशों में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एफकॉन इन्फास्टेक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वेरके कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य (2010) 8 **Supreme Court case 24 in civil writ 6000/2010** में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2010 जरिये ई–मेल भी भिजवाया जा रहा है। कृपया प्रिन्ट प्राप्त कर संबंधित दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न कर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।

कृपया प्रत्यके न्यायिक अधिकारी से संलग्न दिशा–निर्देशों के संबंध में पावती रसीद प्राप्त कर सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.बी.कटटा)
सदस्य सचिव

P.T.O.

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,(रालसा) जयपुर।

मध्यस्थता प्रकिया के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश

13वें वित आयोग के अधीन धारा 89 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के कम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित मिडियेशन एवं कौन्सिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के निर्देशन एवं नियन्त्रणाधीन पूरे राज्य में ए.डी.आर. (वैकल्पिक विवाद समादान केन्द्र) कार्यकम को प्रभावी किया जाना अपेक्षित किया गया है। इस कम में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नया भवन बनाया जाना प्रस्तावित है, वहीं प्रत्येक न्यायालय स्टेशन पर भी ए.डी.आर. कार्यकम को प्रभावी व गतिशील बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस हेतु माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जज इंचार्ज मिडियेशन सेन्टर द्वारा भी धारा 89 सिविल प्रकिया संहिता से संबंधित जानकारी का फोल्डर न्यायालय से जारी हाने वाले प्रत्येक समन/नोटिस के साथ संलग्न कर भिजवाये जाने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके है जिनकी पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है।

जहां तक मध्यस्थता कार्यकम के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया का संबंध है यद्यपि इस हेतु इस कार्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के जरिये पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। पुनः इस संबंध में निम्नानुसार प्रकिया निर्देशानुसार अपनाई जा सकती है:–

1. प्रत्येक न्यायक्षेत्र के लिए डिस्ट्रीक्ट मिडियेशन मोनिटेरिंग कमेटी संदर्भित पत्र के जरिये स्थापित की जाकर संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसके चेयरमैन होगें जबकि प्रत्येक कोर्ट स्टेशन के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी कि, जिसके द्वारा रेफरल जजेज ट्रेनिंग प्राप्त कर ली गयी हो, जज इंचार्ज मिडियेशन सेन्टर एंव मेम्बर/सेकेट्री, डिस्ट्रीक्ट मिडियेशन मोनिटेरिंग कमेटी होगे। ऐसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी जज इंचार्ज, मिडियेशन सेन्टर के स्थानान्तरण पर संबंधित मुख्यालय पर पदस्थापित अन्य रेफरल जजेज ट्रेनिंग प्राप्त वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, जज इंचार्ज, मिडियेशन सेन्टर एवं मेम्बर/सेकेट्री होगें। इस संबंध में प्रत्येक न्यायक्षेत्र के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) समय–समय पर यथोचित आदेश देकर पारित करने हेतु सक्षम होगें।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एफकॉन इन्फास्टेक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वेरके कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य (2010)8**Supreme Court case 24 in civil writ 6000/2010** में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2010 के अनुसार जिसका उल्लेख रेफरल जजेज ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर द्वारा दिया गया था,

में उल्लेखित गाईड लाईन के मुताबिक जिला मुख्यालय अथवा तालुका स्तर पर पदस्थापित कोई भी न्यायिक अधिकारी स्वयं के न्यायालय में लम्बित किसी प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन उपरान्त यह पाते है कि इसमें सम्झौते की संभावना (एलीमेंट आफ सेटलमेंट) मौजूद है तथा प्रकरण मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से निस्तारित होने संभावना रखता है तो संबंधित न्यायिक अधिकारी मध्यस्थता प्रावधानों बाबत संबंधित पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण को अवगत करायेगा तथा पक्षकारान की सहमति लेते हुये पक्षकारान को मध्यस्थता केन्द्र के लिए तिथि निर्धारित करते हुये रेफरल आदेश (संलग्न प्रपत्र)में पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण के हस्ताक्षर व आवश्यक सूचना शामिल करते हुये संबंधित मध्यस्थता केन्द्र को भिजवाने व केन्द्र में पक्षकारान के उपस्थित होने का आदेश पारित करेगें अर्थात यहां सामान्यतः केवल रेफरल आदेश न्यायालय की प्रति ही मध्यस्थता केन्द्र को भिजवाने की अपेक्षा की गयी है ना कि पत्रावली प्रकरण।

यहां यह भी संभावित है कि पक्षकारान में से एक पक्षकार प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र में भिजवाने का सहमत न हो अथवा दोनों सहमत न हो एवम संबंधित पीठासीन अधिकारी की राय में ऐसे विवाद में एलीमेंट आफ सेटलमेंट मौजूद पाये जाकर मध्यस्थता कार्यवाही के जरिये विवाद का हल निकल सकना संभावित हो तो भी उचित निर्देश व निर्धारित समयावधि नियत कर प्रकरण को ए.डी.आर/मध्यस्थता केन्द्र में भिजवाया जा सकता है।

निर्देशानुसार यहां यह भी लेख है कि पीठासीन अधिकारी संबंधित ऐसे प्रत्येक दीवानी प्रकरण में जवाबदावा पेश होने के उपरान्त व कायमी तनकीयात के पूर्व धारा 89 सि.प्र.सं. के प्रावधान से संबंधित तथ्य आवश्यक रूप से दर्ज किये जावेगें। पीठासीन अधिकारी की राय में विवाद को मिडियेशन सेन्टर भिजवाया जाना उपयुक्त समझा जाता है तो पक्षकारान को मिडियेशन प्रकिया के लाभ बताते हुये उनकी सहमति प्राप्त कर रेफरल आदेश के जरिये उपरोक्तानुसार मिडियेशन सेन्टर भिजवाया जावेगा तथा मिडियेशन सेन्टर भिजवाया जाना उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में इसका उल्लेख आदेशिका में किया जावेगा। तनकीयात की स्टेज के उपरान्त पर भी जिस किसी भी स्टेज पर चाहे वह बहस अन्तिम की स्टेज ही क्यों न हो, पीठासीन की राय में विवाद मध्यस्थता केन्द्र भिजवाया जाना उचित समझा जावे तो यह प्रकिया अपनाई जा सकती है।

यहां यह जिम्मेदारी भी पीठासीन अधिकारी की ओर भी अधिक हो जाती है कि अनावश्यक रूप से विवादों को केवल संख्या बढाने के लिए रेफरल आर्डर तैयार नहीं किया जावे अथवा इस कार्यक्रम से मुकदमा देरी करने की प्रवृति को बढावा न मिले इसके लिए प्रयास यह ही किया जावे कि प्रकरण में आगामी स्टेज हेतु पेशी नियत किये जाने के दौरान के समय का मध्यस्थता कार्यवाही के लिए सदुपयोग किया जावे।

इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नये ए.डी.आर.भवन के निर्माण होने तक मुख्यालय पर उपलब्ध स्थान में से उपयुक्त स्थान का चयन कर फंक्शनल मध्यस्थता केन्द्र का शुभारम्भ करेगें, जो कि अधिकाशं स्थानों पर माह जून,2011 से प्रारम्भ कर दिये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है।

तालुका स्तर पर भी जहाँ **Trained Mediator** (40 घण्टे की मिडियेटर ट्रेनिंग प्राप्त) उपलब्ध है अथवा निकट भविष्य में ऐसे **Trained Mediator** तालुका स्तर पर उपलब्ध होते है तो मिडियेशन केन्द्र के स्थान का चयन कर तालुका स्तर पर भी फंक्शनल ए.डी.आर. सेन्टर प्रारम्भ किया जावे किन्तु जहां ए.डी. आर सेन्टर के लिए कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है तथा संबंधित पक्षकार व अधिवक्तागण संबंधित विवाद का निस्तारण मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से कराने के इच्छुक हो तो जज इंचार्ज मिडियेशन अपने विवके अनुसार या तो उन्हें उसी न्यायक्षेत्र के नजदीकी कार्यरत मध्यस्थता केन्द्र के जज इंचार्ज के लिए रेफरल ऑडर्र तैयार कर उसके समक्ष उपस्थित होने हेतु निवेदन कर सकते है अथवा न्यायक्षेत्र के नजदीकी उपलब्ध **Trained Mediator** को ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर उपस्थित होकर सेवाऐं देने के लिए अनुरोध भिजवा सकते है।

इसी कम में यह भी निवेदन है कि जहां **Trained Mediator** उपलब्ध है किन्तु मध्यस्थता केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण या अध्यक्ष तालुका समिति प्रथमतः नजदीकी अन्य किसी शासकीय भवन में अस्थाई तौर पर स्थान उपलब्ध करवाये जाने हेतु निवेदन संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारीगण को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी परिस्थिति विशेष के अधीन इस कार्य हेतु किराये का भवन भी नियमानुसार इस कार्यालय की पूर्व स्वीकृति व अनुमोदन उपरान्त, लिया जाकर ए.डी.आर कार्यवाही को सुचारू किया जा सकता है।

जज इंचार्ज, मिडियेशन सेन्टर ऐसे किसी भी रेफरल आदेश के प्राप्त होने पर इसका उल्लेख निर्धारित प्रपत्र के रजिस्टर में आवश्यक सूचनाओं के साथ दर्ज करायेगें तथा प्रकरण के तथ्यों मुताबिक उपयुक्त **Trained Mediator** को इस हेतु मुकर्रर कर प्रकरण पक्षकारान व अधिवक्तागण को निर्धारित तिथि पर संबंधित मध्यस्थता केन्द्र पर उपस्थित होने की सूचना प्रेषित करेगें।

निर्धारित तिथि मध्यस्थता केन्द्र पर **Trained Mediator** द्वारा प्रकरण के पक्षकारान व विवाद की उन्हें दी गयी ट्रेनिग तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफकॉन जजमेंट में पारित दिशा निर्देश अनुसार सकारात्मक प्रयास करते हुये कार्यवाही करेगें तथा मध्यस्थता कार्यवाही के उपरान्त युक्तियुक्त अथवा निर्धारित समय में इस संबंध में हुई कार्यवाही की संक्षिप्त रिपोर्ट एवं मध्यस्थता सफल होने की सूरत में पक्षकारान के मध्य निर्धारित हुई **terms and conditions** का लिखित इकरार पत्र संबंधित जज इंचार्ज, मिडियेशन सेन्टर को वापस प्रेषित करेगें तथा जज इंचार्ज मिडियेशन इस संबंध में आवश्यक इन्द्राजात संबंधित रजिस्टर में करवाने के उपरान्त इसे संबंधित न्यायालय को, कि जहां से प्रकरण रेफर हुआ है, भिजवायेगें।

निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एफकॉन इन्फास्टेक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्क्रे कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य, निर्णय में विभिन्न प्रकृति के प्रकरण ए.डी.आर. हेतु रेफर किये जाने के लिए उपयुक्त होना या न होना दर्शाया है किन्तु इस संबंध में प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुये माननीय जज इंचार्ज,मिडियेशन सेन्टर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्देशानुसार इनमें से प्राथमिक तौर पर –1. वैवाहिक मामलों से संबंधित प्रकरण, 2. पारिवारिक विवाद मामलों से संबंधित प्रकरण 3. चेक अनादरण मामलों से संबंधित प्रकरण वैवाहिक 4. श्रम विवादो से संबंधित प्रकरण 5. सम्पति विवाद मामलों से संबंधित प्रकरण के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का श्रम करें।

यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि मिडियेशन कार्यक्रम के जरिये निर्णित होने वाले प्रकरणों पर उचित निस्तारण कोटा मााननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से दिलवाये जाने के संबंध में मानीनय जज इंचार्ज, मिडियेशन सेन्टर राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर प्रयत्नशील है।

मिडियेशन सेन्टर के जरिये निर्णित होने वाले प्रकरणों के संबंध में संबंधित मिडियेटर को देय मानदेय की राशि राज्य सरकार पृथक आदेश के जरिये निर्धारित कर दी गयी है,जिसमें मााननीय उच्च न्यायालय स्तर पर 3000/– रूपये सफल प्रकरण के लिए एवं 750/– रूपये असफल प्रकरण के लिए तथा जिला स्तर पर 1500 /– रूपये सफल प्रकरण के लिए एवं 250/– असफल प्रकरण के लिए भुगतान किये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि प्रत्येक जिला प्राधिकरण/समिति को अपने अपने न्यायक्षेत्र में मिडियेशन कार्यक्रम की अधिकाधिक प्रचार प्रसार की सुनिश्चितता करते हुये क्षेत्र के अभिभाषक संघ के सदस्यगण को भी **Trained Mediator** व रेफरल जजेज का सहयोग लेते हुये इस कार्यक्रम में जोडने का प्रयास करेगें।

इस संबंध में निर्देशानुसार यह भी अवगत कराया जाना उचित होगा कि एम.सी.पी.सी. सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक न्यायिक अधिकारीगण की मिडियेशन प्रोग्राम में प्रभावी भागीदारी का तथ्य उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के समय भी विचार का एक आवश्यक आधार रहेगा।

निर्देशानुसार यह भी निवेदन है कि प्रत्येक जज इंचार्ज मिडियेशन सेन्टर यह भी सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र (संलग्न) में निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं का संधारण सुनिश्चित करावे तथा ऑन लाईन जरिये मेल प्रत्येक माह, प्रत्येक मिडियेटर, रेफरल जजेज द्वारा किये गये प्रयासों /सफलता का विवरण इस कार्यालय को भिजवावे ताकि वस्तुस्थिति रिपोर्ट माननीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं जज इंचार्ज मिडियेशन सेन्टर के समक्ष के प्रस्तुत की जा सके।

(के.बी.कटटा)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
ज य पु र।

RAJASTHAN STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JAIPUR

No. RSLSA/ Med./2012/ 19417 - 19451 Dated: 02/03/2012

To,

Chairman,
District Legal Services Authority,
(District & Sessions Judge)

Sub: Regarding strict compliance of Sec. 89 CPC and emphasis on attachment of leafled on Mediation with summon/Notices.

Ref: This officer letter No. 14000-34 dated 16-12-2011

Sir,

This is with reference to the above mentioned that I am hereby directed by Hon'ble the Executive Chairman, RSLSA to seek the following information from your judgeship:-

1- Whether the strict compliance of Sec.89 CPC is being done in your Judgeship or not? If No what are the reasons thereof of non compliance and if the compliance is being done in how many cases the steps have been taken by each court in the Judgeship regarding the implementation of this provision.

2- Whether the leafled containing the provisions of Mediation are enclosed with every summons /Notices being sent to defendants / Non petitioner. If no, reasons thereof? And if Yes, in how may cases the leafled has been attached by each court in the Judgeship while summoning the Non-petitioner/ defendant upto 29-2-2012.

Kindly furnish the above information upto 13th March 2012 through Post/Fax/E-mail positively.

It may be treated as most urgent.

Yours sincerely,
(K.B. Katta)
Member Secretary

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः ए0डी0आर0/2011/7738 दिनांकः 20 अगस्त, 2011

प्रेषितिः

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः ए. डी. आर. एवं प्ली बारगेनिंग के संबंध में दीवानी प्रकिया संहिता एवं फौजदारी प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों के प्रभावी कियान्वयन एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिशा निर्देश जारी करवाने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के नेशलन एक्शन प्लान 2011–12 एवं 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कियान्वयन के अधीन प्रत्येक न्यायिक जिला स्तर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पृथक–पृथक एक–एक ए.डी. आर. सेन्टर की स्थापना की जानी है। साथ ही निर्देशानुसार नवनिर्मित ए.डी.आर. भवन का निर्माण होने के पूर्व ही दिनांक 30.6.2011 तक सभी न्यायिक जिलों में मौजूद उपलब्ध वैकल्पिक स्थान पर ए.डी.आर सेन्टर स्थापित किये जाकर मध्यस्थता कानून संबंधी प्रावधानों का प्रभावी कियान्वयन अमल में लाया जाना भी निर्दिष्ट किया गया है।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा भी माह जून,2011 में राज्य के विभिन्न जिलों में विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में की गई यात्राओं के दौरान प्रत्येक जिले में आयोजित मिटिंग में भी ए.डी.आर. बाबत आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुये मध्यस्थता के माध्यम से अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण का अनुरोध किया गया है। साथ ही प्ली–बार्गेनिंग प्रावधानों बाबत भी जानकारी प्रदान करते हुये न्यायालय नियमित कार्यो में धारा 89 व प्ली बार्गेनिंग को अधिकाधिक प्रभाव में लाये जाने पर बल दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेखित किया जाना प्रासंगिक है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अधीन करीब–करीब सभी जिला मुख्यालयों पर वैकल्पिक स्थान सुनिश्चित करते हुये ए. डी.आर. संस्थापित किये जाने की सूचना आ चुकी है तथा मिडियेटर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी 13वें वित्त आयोग के प्रस्तावित प्रोग्रामानुसार राज्य में प्रराम्भ किया जा चुका है।

ट्रेनिंग कार्यक्रम हेतु जो ट्रेनर्स जो एम.सी.पी.सी., दिल्ली से आये हैं, उनके द्वारा दिल्ली मिडियेशन सेन्टर की कार्यप्रणाली बाबत ऑडियो–विडियो से जानकारी दी गयी, के अनुरूप भी दिल्ली में प्रत्येक सिविल प्रकरण में जारी सम्मन/नोटिस के साथ एक ए.डी.आर. की जानकारी बाबत फोल्डर भी भेजा जा रहा है।

निर्देशानुसार इस प्रकार की प्रक्रिया भी राजस्थान में स्थित सभी न्यायालयों द्वारा अपनाई जानी उचित होगी तथा ए.डी.आर. के प्रावधानों की अधिक से अधिक जानकारी सुनिश्चित करवाये जाने के लिए संलग्न जानकारी का फोल्डर संबंधित सभी सम्मन/नोटिस के साथ प्रेषित किया जाना भी उचित होगा

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार लेख है कि ए. डी. आर. (वैकल्पिक विवाद समाधान) एवं प्ली–बारगेनिंग के संबंध में दीवानी प्रकिया संहिता एवं फौजदारी प्रकिया संहिता में विहित प्रावधानों के सम्बन्धित सभी अधिनस्थ न्यायालयों में प्रभावी कियान्वयन एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाने हेतु सुझाव प्रस्तावित हैः–

1. दीवानी मामलों में जैसे ही कोई प्रकरण पेश होता है तो प्रतिपक्षी को जारी होने वाले नोटिस/सम्मन के साथ प्रकरणों को जरिये मिडियेशन निपटाये जा सकने संबंधी प्रावधानों की जानकारी का फोल्डर भी उसके साथ प्रेषित किया जावे ताकि इससे होने वाले लाभों के संबंध में पक्षकारान को जानकारी हो सके। (संलग्न प्रारूप फोल्डर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ मुद्रण करवाकर उपयोग में लिये जा सकते है)।

19.8.2011

कमशः....2

2. दीवानी प्रकृति के प्रकरण की आदेशिका में पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने पर प्रथम पेशी पर एवं जिस पर कि किसी प्रकार की कार्यवाही/स्टेज परिवर्तित होती है, उस समय पक्षकारान को अवगत कराते हुये आदेशिका में ऐसा अभिलिखित किया जाना सुनिश्चित किया जावे कि पक्षकारान को धारा 89 सिविल प्रक्रिया संहिता में विदित विभिन्न माध्यमों के जरिये विशेषरूप से मध्यस्थता संबंधी प्रावधानों के अधीन परस्पर सुलह के आधार पर निपटाये जाने बाबत अवगत कराया गया तथा पक्षकारान की सहमति पर अथवा न्यायालय स्वयं यदि उसे ए.डी.आर. को रेफर करना उपयुक्त समझें तो आवश्यकतानुसार कार्यवाही भी कर सकेगा। पक्षकारान द्वारा इस संबंध में व्यक्त गई सहमति अथवा असहमति के तथ्य को भी आदेशिका पर अंकित किया जाकर पक्षकारान व अधिवक्तागण के हस्ताक्षर करवा लिये जावे ऐसे संबंधित प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने का विवरण न्यायिक अधिकारी अपने दैनिक कार्य सूची के साथ रखे जिससे कि ए.सी.आर. के पूर्ति में कोई कठिनाई न हो।

आपराधिक प्रकरणों में प्रकरण जो कि दण्ड प्रकिया संहित के अध्याय 21–ए, के अधीन प्ली–बारगेनिंग हेतु शामिल हो सकते है, की जानकारी से संबंधित पक्षकारान को अवगत कराये जाने की सूचना का तथ्य भी प्रकरण की आदेशिका में अंकित किया जा सकना निर्देशित किया जा सकता है।

3. न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र में ए.डी.आर./प्ली बारगेनिंग व्यवस्था का कॉलम दिया गया है। न्यायिक अधिकारीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जाने वाले वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ प्रेषित की जाने वाले ए.डी.आर/प्ली बारगेनिंग से संबंधित सूचना के मानचित्र की एक प्रति पृथक से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करवाया जाना निर्देशित किया जा सकता है, जिससे कि वर्णित सूचना को माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित जज इंचार्ज, मिडियेशन सेंटर, राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित सुझाव माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर इस संबंध में अपेक्षित दिशा–निर्देश प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारीगण के संबंध में जारी करवाने का श्रम करे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न. उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(के.बी. कट्टा)
सदस्य सचिव

SR/ADR/Lettler RG